भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2043
31 जुलाई 2025 को उत्तर देने के लिए

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2043. श्री गोपाल जी ठाकुर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान बिहार राज्य में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ग) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को किस प्रकार सहायता प्रदान की जा रही है; और

(घ) क्या सरकार का विचार दरभंगा जिले में मक्का प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) एवं (ख) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) बिहार सहित पूरे देश में अपनी केंद्रीय क्षेत्र प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/ विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।

ये योजनाएं क्षेत्र विशेष पर आधारित नहीं हैं, बल्कि मांग पर आधारित हैं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित नहीं करता है।

अब तक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 30.06.2025 तक बिहार राज्य में पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के तहत 160.06 करोड़ रुपये की स्वीकृत अनुदान सहायता के साथ 2 मेगा फूड पार्क, 5 कोल्ड चेन परियोजनाएं, 1 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्वीकृत की हैं।

बिहार राज्य में 30.06.2025 तक पीएमएफएमई के अंतर्गत सहायता के लिए 570.16 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ कुल 25,349 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है ।

अब तक, बिहार राज्य में 30.06.2025 तक पीएलआईएसएफपीआई योजना की विभिन्न श्रेणियों के तहत सहायता के लिए 488.66 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ 7 स्थानों पर खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित पीएलआईएसएफपीआई का लक्ष्य 6 वर्षों (2021-22 से 2026-27) की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चैंपियन ब्रांड बनाकर खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार को सुगम बनाना है। पीएलआईएसएफपीआई की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सहायता हेतु कुल 170 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है । पीएलएसआईएफपीआई के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है ।

(घ): मंत्रालय बिहार के दरभंगा जिले सहित देश भर में अपनी योजनाओं के माध्यम से मक्का आधारित प्रसंस्करण सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

*****

अनुलग्नक

"बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग" के संबंध में 31 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2043 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

<u>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस-एफपीआई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन</u>

i. योजना के श्रेणी-I, श्रेणी-II और बाजरा-आधारित उत्पाद घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए लाभार्थी को न्यूनतम वार्षिक बिक्री वृद्धि दर 10% प्राप्त करनी होगी। श्रेणी-I घटक के अंतर्गत, कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध निवेश करना होगा। यदि कोई कंपनी 2023-24 के अंत तक प्रतिबद्ध निवेश नहीं करती है , तो वह योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।

ii. श्रेणी-III, यानी ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के अंतर्गत, कोई भी कंपनी विदेश में ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर किए गए व्यय के 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के अधीन है। पाँच वर्षों की अवधि में न्यूनतम व्यय 5 करोड़ रुपये होना चाहिए।

*****